

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाडी तथा पलवल (9 जिलों ) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (07-08-2024) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट (FLD व ICM पर प्रदर्शन प्लॉट) पर रु0 3200/एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Demonstration of FLD on ICM**

<b>Tentative District Wise Physical &amp; Financial targets of FLD on ICM for Kharif 2024, Assistance @ Rs. 3200/- acre (Rs. 2800/- for inputs and Rs. 400/- for contingency)</b>							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	30	0.96	24	0.77	6	0.19
2	Fatehabad	30	0.96	24	0.77	6	0.19
3	Hisar	30	0.96	24	0.77	6	0.19
4	Jind	10	0.32	8	0.26	2	0.06
5	Narnaul	15	0.48	12	0.38	3	0.10
6	Palwal	15	0.48	12	0.38	3	0.10
7	Sirsa	50	1.60	40	1.28	10	0.32
8	Rewari	15	0.48	12	0.38	3	0.10
9	C.Dadri	30	0.96	24	0.77	6	0.19
	<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>7.20</b>	<b>180</b>	<b>5.76</b>	<b>45</b>	<b>1.44</b>

## विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाडी तथा पलवल (9 जिलों ) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (07-08-2024) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट ( FLD पर देसी व ELS Cotton/ ELS Cotton का प्रदर्शन प्लॉट ) पर रू0 3600/एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Demonstration of FLD on Desi & ELS Cotton/ELS Cotton Se Production**

<b>Tentative District Wise Physical &amp; Financial targets of FLD on Desi &amp; ELS Cotton/ELS Cotton Se Production for Kharif 2024, Assistance @ Rs. 3600/- acre</b>							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	80	2.88	64	2.30	16	0.58
2	Fatehabad	50	1.80	40	1.44	10	0.36
3	Hisar	80	2.88	64	2.30	16	0.58
4	Jind	35	1.26	28	1.01	7	0.25
5	Narnaul	30	1.08	24	0.86	6	0.22
6	Palwal	35	1.26	28	1.01	7	0.25
7	Sirsa	130	4.68	104	3.74	26	0.94
8	Rewari	30	1.08	24	0.86	6	0.22
9	C.Dadri	80	2.88	64	2.30	16	0.58
<b>Total</b>		<b>550</b>	<b>19.80</b>	<b>440</b>	<b>15.84</b>	<b>110</b>	<b>3.96</b>

## विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाडी तथा पलवल (9 जिलों ) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (07-08-2024) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट (FLD में अंतर फसल पर प्रदर्शन प्लॉट) पर रु0 3200/एकड़सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Demonstration of FLD on Intercropping**

<b>Tentative District Wise Physical &amp; Financial targets of FLD on Intercropping for Kharif-2024, @ Rs. 3200/- acre (Rs. 2800/- for inputs and Rs. 400/- for contingency)</b>							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	15	0.48	12	0.38	3	0.10
2	Fatehabad	12	0.38	10	0.32	2	0.06
3	Hisar	15.5	0.50	12.5	0.40	3	0.10
4	Jind	9	0.29	7	0.22	2	0.06
5	Narnaul	9	0.29	7	0.22	2	0.06
6	Palwal	9	0.29	7	0.22	2	0.06
7	Sirsa	20	0.64	16	0.51	4	0.13
8	Rewari	9	0.29	7	0.22	2	0.06
9	C.Dadri	14	0.45	11	0.35	3	0.10
<b>Total</b>		<b>112.5</b>	<b>3.60</b>	<b>89.5</b>	<b>2.86</b>	<b>23</b>	<b>0.74</b>

## विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाडी तथा पलवल (9 जिलों ) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (07-08-2024) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में कपास के प्रदर्शन प्लॉट ( एच0डी0पी0एस पर परीक्षण का प्रदर्शन प्लॉट) पर रू0 4000/एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Demonstration of Trial on HDPS**

<b>Tentative District Wise Physical &amp; Financial targets of Trial on HDPS for Kharif 2024, Assistance @ Rs.4000/- acre (Rs. 3600/- for inputs and Rs. 400/- for contingency)</b>							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	10	0.40	8	0.32	2	0.08
2	Fatehabad	6	0.24	5	0.19	1	0.05
3	Hisar	10	0.40	8	0.32	2	0.08
4	Jind	6	0.24	5	0.19	1	0.05
5	Narnaul	6	0.24	5	0.19	1	0.05
6	Palwal	6	0.24	5	0.19	1	0.05
7	Sirsa	15	0.60	12	0.48	3	0.12
8	Rewari	6	0.24	5	0.19	1	0.05
9	C.Dadri	10	0.40	8	0.32	2	0.08
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>3.00</b>	<b>60</b>	<b>2.40</b>	<b>15</b>	<b>0.60</b>

## विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा



**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (वाणिज्य फसलें-कपास) स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, चरखी दादरी, नारनौल, रेवाडी तथा पलवल (9 जिलों ) में कपास के पौध संरक्षण रसायन एवं बायो एजेंट के वितरण पर किसानों को अनुदान दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक (15-09-2024) तक कर सकते हैं।

(वाणिज्य फसलें-कपास) में पौध संरक्षण रसायन एवं बायो एजेंट के वितरण पर रू0 200/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

**Distribution of Plant Protection Chemicals and Bio Agents**

<b>Tentative District Wise Physical &amp; Financial targets of Distribution of Plant Protection Chemical and Bio Agents for Kharif 2024, Assistance @ Rs. 200/- acre or 50% of the Cost whichever is less</b>							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in ha.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in ha.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Bhiwani	3000	6.00	2400	4.80	600	1.20
2	Fatehabad	2000	4.00	1600	3.20	400	0.80
3	Hisar	3000	6.00	2400	4.80	600	1.20
4	Jind	1500	3.00	1200	2.40	300	0.60
5	Narnaul	1500	3.00	1200	2.40	300	0.60
6	Palwal	1500	3.00	1200	2.40	300	0.60
7	Sirsa	5000	10.00	4000	8.00	1000	2.00
8	Rewari	1500	3.00	1200	2.40	300	0.60
9	C.Dadri	2275	4.55	1820	3.64	455	0.91
	<b>Total</b>	<b>21275</b>	<b>42.55</b>	<b>17020</b>	<b>34.04</b>	<b>4255</b>	<b>8.51</b>

## विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान अधिकतम 2.5 एकड का लाभ ले सकता है।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org> under the link E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति व अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा